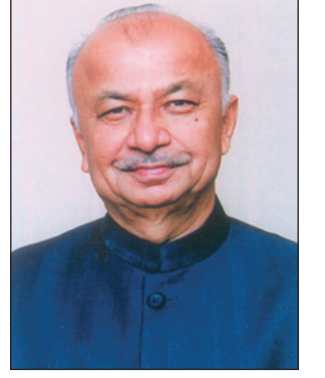




सुशीलकुमार शिंदे
SUSHILKUMAR SHINDE
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं !

भारत की सभ्यता और भाषायी संस्कृति की जड़ें गहरी हैं और ये विविध संस्कृतियों के सम्मिश्रण से गुजरकर सदियों से विकसित हुई हैं। भाषायी विविधता एवं बहुआयामी संस्कृति के बावजूद राजभाषा हिंदी ने देश के स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोकर अनेकता में एकता की धारणा को पुष्ट किया है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का सबसे शक्तिशाली एवं प्रभावी माध्यम है।

विश्व के सभी प्रमुख विकसित एवं विकासशील देश अपनी-अपनी भाषाओं में ही अपना सरकारी कामकाज करके उन्नत हुए हैं। हिंदी हमारे देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है। यह देश के अधिकांश लोगों द्वारा पारस्परिक व्यवहार में प्रयुक्त की जाती है। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में इसे संघ सरकार की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देश और समाज के व्यापक हित में राजभाषा हिंदी के प्रति जनता और सरकारी तंत्र दोनों को अधिक से अधिक संवेदनशील और सक्रिय बनाए जाने की आवश्यकता है।

हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अपनाने के संवैधानिक उद्देश्यों को पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हिंदी में टिप्पण तथा पत्राचार को पर्याप्त रूप से प्रोत्साहित किया जाए। वास्तविकता में हिंदी में काम करने के लिए यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होगा कि भाषा को सरल एवं सहज रूप में लिखा जाए ताकि हिंदी जानने वाले तथा हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों द्वारा यह आसानी से समझी जा सके तथा अपनाई जा सके।

इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में विशेषज्ञों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है ताकि विभिन्न विभागों में कर्मचारियों द्वारा सुलभ संदर्भ के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्रशासनिक शब्दावली को अभिव्यक्ति के सरल रूपों का प्रयोग करते हुए उन्नत किया जा सके। इस समिति का कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की संभावना है। इस तरह की उन्नत शब्दावली प्रशिक्षण, अनुवाद तथा शीघ्रता से ग्राह्य रूप में भाषा की सुविज्ञता के उद्देश्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं। राजभाषा विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से अब कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करना अधिक सुविधाजनक एवं सरल हो गया है और इसके लिए समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। इसी क्रम में राजभाषा विभाग ने वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की है। यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सभी कंप्यूटर उपकरणों में हिंदी में काम करने की सुविधा हो। विभाग द्वारा अन्य उपायों के अलावा हिंदी में मूल पत्राचार को बढ़ावा देने के लिए कई पुरस्कार योजनाएं भी चलाई जा रही हैं।

मैं सभी वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारियों एवं कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने कार्यालयों में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रुचि लें और स्वयं हिंदी में कार्य करके अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें। संघ की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा एवं प्रोत्साहन है किंतु संबंधित अनुदेशों का अनुपालन उसी प्रकार दृढ़तापूर्वक किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य सरकारी अनुदेशों का अनुपालन किया जाता है।

आइए, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हम यह संकल्प लें कि हम सभी उत्साहपूर्वक और गर्व के साथ अपना कार्य हिंदी में करेंगे और राजभाषा अधिनियम, नियम एवं वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से हम अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे और देश में हिंदी के प्रयोग को अभूतपूर्व नए आयाम देंगे।

जय हिंद !

नई दिल्ली,
14 सितंबर, 2013


सुशीलकुमार शिंदे